दिनांक 28.07.2019

PRESS NOTE

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

➢ **थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्र्तगत ग्राम महेषपुर चोपडा में अज्ञात युवती का अधजली अवस्था में मिले षव के अभियोग का सफल अनावरण, आरोपी एक अभियुक्त गिरफ्तार।**

<u>अनावरण हुई घटना का संक्षिप्त विवरण :—</u>

थाना बिनौली :—दिनांक 18.07.19 को थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम महेषपुर चौपडा मे खेत में एक अज्ञात लडकी का षव अधजली अवस्था मे मिला। इस सम्बन्ध में वादी श्री संजय त्यागी पुत्र मंगूराम त्यागी निवासी ग्राम महेषपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 228/19 धारा 302, 201 भादवि बनाम **अज्ञात** पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देषन मे थाना बिनौली पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका की पहचान सोनम पुत्री सलीमुददीन निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत के रूप मे कराते हुए, आज दिनांक 28.07.19 को उपरोक्त मुकदमे में हत्या में संलिप्त अपराधी (पिता) **सलीम पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत** को जंगल ग्राम दौझा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

<u>पूछताछ का विवरण :—</u>

अभियुक्त सलीम उपरोक्त ने बताया कि उसकी लडकी(मृतका) का गांव के एक लडके के साथ प्रेम प्रसंग था। उसने लडकी से काफी समझाया किन्तु उसने लडके से मिलना—जुलना बन्द नही किया, जिसके कारण उसने लडकी को अपने भाई अनवर निवासी लोनी गाजियाबाद के वहां घटना से 04 दिन पूर्व भेज दिया, जब उसके भाई अनवर ने उसे बताया कि वह लडका उसकी लडकी से मिलने लोनी भी आने लगा है तो दोनो भाईयों ने लडकी को मारने की योजना बनायी और उसे दिनांक 17/18.07.19 की रात्रि मे मो0सा0 पर बैठाकर ये कहकर ग्राम दौझा के लिये लेकर आये की तुम्हारे नाना की मृत्यु हो गयी है रास्ते मे जंगल ग्राम महेषपुर चौपडा मे उसके दुपटटे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल छिडककर आग लगा दी।

<u>अभियुक्तों का नाम व पता :—</u>

1—**सलीम पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।**

बरामदगी का विवरण :—

1—एक तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस।

➢ **50 हजार रूपये का ईनामी षातिर अपराधी, ''सन्नी'' पुलिस मुठभेड में ढेर।**

<u>थाना दोघट व थाना छपरौली:—</u> दिनांक 27.07.19 को जनपद बागपत के थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत रात्रि समय करीब 23:15 बजे मुखबिर की सूचना पर दोघट सुजती रोड जंगल ग्राम टीकरी से थाना छपरौली व थाना दोघट पुलिस के संयुक्त ऑपरेषन पर चैकिंग के दौरान मुठभेड हुई। बदमाषो ने पुलिस को देखते ही फायरिंग षुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाष गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाष को उपचार हेतू सीएचसी बडौत ले जाया गया। बदमाषो द्वारा की गई फायरिंग में थानाध्यक्ष छपरौली व एक कान्स्टेबल घायल हो गये। घायल थानाध्यक्ष छपरौली व कांस्टेबल को उपचार हेतू अस्पताल भर्ती कराया गया है। पूछताछ पर घायल बदमाष ने अपना नाम **सन्नी पुत्र हरेन्द्र निवासी सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत** बताया। अस्तपाल में दौराने उपचार घायल बदमाष ने दम तोड दिया। मुठभेड मे मारे गये बदमाष के कब्जे

से **एक कारबईन 9 एमएम व एक पिस्टल 32 बोर मय भारी मात्रा मे कारतूस जिसमें 11 खोखा कारतूस (03 खोखा 9एमएम, 06 खोखा 315 बोर व 02 खोखा 32 बोर) व 30 जिंदा कारतूस (24 जिंदा 32 बोर व 06 जिंदा 9 एमएम) व लूट की एक मो0सा0 स्पलैण्डर बरामद** हुई। उक्त बदमाष **थाना कोतवाली षामली के मु0अ0सं0 850/19 धारा 302 भादवि में वांछित** चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर **जनपद षामली से 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित** था। इसके विरूद्व **जनपद षामली व जनपद बागपत में हत्या, हत्या का प्रयास व लूट आदि के 09 अभियोग** पंजीकृत है। उक्त बदमाष के दो साथी फरार हो गये, जिनकी तलाष जारी है।

अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर आवष्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पताः–

1–सन्नी पुत्र हरेन्द्र निवासी सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगीः–

1–एक कारबईन 9 एमएम।

2–एक पिस्टल 32 बोर।

3–11 खोखा (03 खोखा 9 एमएम, 06 खोखा 315 बोर व 02 खोखा 32 बोर)
व 30 जिंदा कारतूस (24 जिंदा 32 बोर व 06 जिंदा 9 एमएम)

4–लूट की एक मो0सा0 स्पलैण्डर।

गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास :–

1–मु0अ0सं0 224/17 धारा 307 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।

2–मु0अ0स0 624/18 धारा 504, 507 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

3–मु0अ0स0 725/18 धारा 307 थाना बडौत जनपद बागपत।

4–मु0अ0स0 975/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

5–मु0अ0स0 183/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

6–मु0अ0स0 692/18 धारा 307, 504 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

7–मु0अ0स0 121/19 धारा 147, 504, 507 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

8–मु0अ0स0 850/19 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली षामली जनपद षामली

9–मु0अ0सं0 205/19 धारा 392 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।